

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या-2749/9-1-2023-1750969  
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला अयोध्या में प्रतिवर्ष पौष माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से सप्तमी तक पाँच दिनों के लिये आयोजित होने वाले 'मकर संक्रान्ति मेला' को प्रान्तीय मेला के रूप में घोषित करती हैं। पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे अनुसूची में सविस्तार वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

नगर निगम अयोध्या की सम्पूर्ण परिधि के भीतर भक्तगण गुप्तारघाट से अयोध्या तक भ्रमण करते हैं।

✓

  
(अमृत अभिजात)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2749(1)/9-1-2023 तदुदिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 25-25 प्रतियाँ शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
(महावीर प्रसाद)  
अनु सचिव।

**संख्या- 2749 (2)/9-1-2023, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) मण्डलायुक्त अयोध्या।
- (2) जिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- (6) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञासे,



(महावीर प्रसाद)  
अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan  
Nagar Vikas Anubhag-1**

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. 2749/9-1-2023-1750969, dated: November 16, 2023 for the information general public.

**NOTIFICATION**

No- 2749/9-1-2023-1750969

Lucknow-Dated: November 16, 2023

In exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. 16 of 1938), the Governor is pleased to declare "Makar Sankranti Mela", held for five days from Dwitiya to Saptami of Shukla Paksha in the month of Pausha every year in District Ayodhya, as a provincial mela. All the provisions of the aforesaid Act shall come into operation during the said period in the area detailed in the Schedule below:—

**SCHEDULE**

**Details of the Area**

Within the whole periphery of Nagar Nigam, Ayodhya devotees visit Guptarghat to Ayodhya.

By order,

  
(Amrit Abhijat)  
Pramukh Sachiv.